न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक
राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त
1. भंवरलाल सगरवंशी पुत्र पन्नाराम सगरवंशी, जाति- सगरवंशी, निवासी- डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, सिरोही, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, जिला- सिरोही

2. रामजीलाल गोयल पुत्र मदन लाल गोयल, निवासी- 44 कान्ति नगर, बनी पार्क, जयपुर - 302016
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- Goyal Dry Fruits, Barah Ji ki gali, deena nath ji ka rasta, 10, Kanhaiya Bhawan, chandpole bazaar, Jaipur - 302001

3. A Kiran Kumar Kodgi, Add-2-87, Machattu, Kundapura, Taluka Machattu, Udupi, KARNATAKA
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता)

फर्म:- Kumar Agro Products, D no 248B, Machattu Post. Amasebail, Udupi, KARNATAKA - 576227

प्रकरण संख्या: 38/2021

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:
1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अधिवक्ता श्री शेषकरण मेवाडा व श्री कलीम अव्वल, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 17 दिसम्बर, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 07.11.2020 को 6.00 पी.एम. पर फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से भंवरलाल सगरवंशी पुत्र पन्नाराम सरगवंशी, जाति- सगरवंशी, निवासी- डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा

पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर गत्ते के डिब्बों में विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) के 18 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) में से 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) पैक्ड पाउचेज काजु (गोकुल ब्राण्ड) जांच हेतु खरीदे एवं काजु (गोकुल ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 2000/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1255, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों खरीद शुदा नमूना पाउचों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1255 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 07.11.2021 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) का नमूना S-1255 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन [illegible] कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त

...पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला अभियोजन
सिरोही-307001.

अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ (गोकुल ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से दिनांक 10.12.2021 को अधिवक्ता श्री शेषकरण मेवाडा व श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादी संख्या-1 (भंवरलाल संगरवंशी) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये व न ही प्रतिवादी भंवरलाल सगरवंशी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 10.12.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधरा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि इस प्रकारण में प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा जानबूझकर किसी भी प्रकार का कोई कृत्य एवं आचरण नही किया गया है। प्रतिवादी अभियुक्त रामजीलाल गोयल पुत्र श्री मदनलाल गोयल, प्रोपराईटर, मैसर्स गोयल ड्राई फ्रूट, जयपुर के द्वारा केवल मात्र पैकिंगशुदा माल का डिस्ट्रीब्यूटर्स होने के नाते उसका विक्रय किया गया है तथा पैकिंग अवस्था में ही बेचान किया गया है। प्रतिवादी संख्या-2 ने स्वयं के द्वारा किसी भी प्रकार कोई निर्माण नही किया है। प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की पूर्ण पालना का प्रयास करते हुए खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाता है। प्रतिवादीगण के द्वारा बेचान किया गया खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मानक स्तर का पाया गया है एवं किसी भी प्रकार की मिलावट नही पाई गई है। केवल मात्र मिथ्याछाप होना पाया गया, जो कि लिपिकिय मानवीय भूल की वजह से अंकन होने से रह गया है। प्रतिवादी अभियुक्तगण की ऐसी कोई मंशा नही थी कि वे मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) का विक्रय करे, फिर भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है जो कि मानवीय भूलवश ही हुआ है। प्रतिवादीगण भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की पूर्णतया [illegible] अभियुक्तगण के द्वारा मानवीय भूल के कारण हुई त्रुटि को मध्य नजर [illegible] हु[illegible]कृतिक न्याय के सिद्धान्तों [illegible] पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:52 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.

को दृष्टिगत रखते हुए न्याय दिलाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादीगण पर कम से कम जुर्माना अधिरोपित कर प्रकरण का निस्तार किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 07.11.2020 को 6.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म खुशी किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से भंवरलाल सगरवंशी पुत्र पन्नाराम सगरवंशी, जाति- सगरवंशी, निवासी- डॉ.सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ काजु(गोकुल ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म खुशी किराणा स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले काजु (गोकुल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री लक्ष्मण सिंह, P & I, सरस डेयरी, अनादरा रोड, पॉवर हाउस के सामने, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान के अन्दर गत्ते के डिब्बों में बिक्री हेतु मौजूद काजु(गोकुल ब्राण्ड) के 18 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) को नमूना जांच हेतु क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि 2,000/- (अक्षरे रुपये दो हजार मात्र) विक्रेता भंवरलाल सगरवंशी को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1255, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1255 को नियमानुसार गोद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे [illegible] मौके पर मौका फर्द

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही- 307001.

तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी, उक्त गवाहों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवदेन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म खुशी किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता भंवरलाल सगरवंशी से खाद्य पदार्थ काजु(गोकुल ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ काजु(गोकुल ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 09.11.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1255 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./860/Act/2020/860 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म खुशी किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ काजु(गोकुल ब्राण्ड) का नमूना S-1255 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ काजु(गोकुल ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर Batch No. अंकित नही थे, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(8) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/85-88 दिनांक 05.1.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी भंवरलाल सगरवंशी व निर्माता फर्म [illegible] Products को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील [illegible] 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित

...पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:52 IST
Reason: SelfAttested

न्याय. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

किया गया है, लेकिन संबंधित ने अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Kumar Agro Products द्वारा खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) के पैक्ड पाउचेज को इनवोईस नंबर 300 व 301 दिनांक 07.10.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या- 2 की फर्म गोयल ड्राई फुट को विक्रय किये गये एवं प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म गोयल ड्राई फुट द्वारा खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) के पैक्ड पाउचज प्रतिवादी भंवरलाल सगरवंशी की फर्म खुशी किराणा स्टोर को इनवाईस नम्बर GST-5349 दिनांक 31.10.2020 के द्वारा विक्रय किये गये है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री काजु (गोकुल ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण प्रतिवादी भंवरलाल सगरवंशी पुत्र पन्नाराम सगरवंशी, जाति- सगरवंशी, निवासी- डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, सिरोही, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र), प्रतिवादी रामजीलाल गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल, निवासी- 44 कान्ति नगर, बनी पार्क, जयपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक सप्लायर फर्म, Goyal Dry Fruits, Barah ji ki gali, deena nath ji ka rasta, 10, Kanhaiya Bhawan, Chandpole bazaar, Jaipur-302001 पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ काजु (गोकुल ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म व निर्माता फर्म के प्रोपराईटर A Kiran Kumar Kodgi, Add-2-87, Machattu, Kundanpura Taluka, Machattu, Udupi, Karnataka-576227, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर निर्माता फर्म Kumar Agro Products, D No 248B, Machattu, Post Amasebail, Udupi, Karnataka-576227 पर राशि रुपये 30,000/- (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी फर्म संख्या 3 के प्रोपराईटर को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:52 IST
Reason: SelfAttested